नि0-3737/2018/शहडोल/भू-रा0

न्यायालय श्रीमान् मध्यप्रदेश राजस्व मंण्डल ग्वालियर सर्किट कोर्ट **रीवा** म0प्र0

रामानन्द तिवारी तनय रामसुजान ब्राम्हण निवासी ग्राम दुआरी थाना **व तहसील** जय सिंह नगर जिला शहडोल (म0प्र0) **—निगरानीकर्ता**

बनाम

1. महा सिंह तनय भोला सिंह उर्फ धीरशाह गोंड़(मृत) द्वारा वारि**सान**
   - अ. रामलखन तनय स्व0 महा सिंह
   - ब. नानदाऊ तनय स्व0 महा सिंह
   - स. ओझा प्रसाद तनय स्व0 महा सिंह
2. मुस0 रामकली पत्नी ईश्वरदीन गोंड़
3. तीरथ तनय ईश्वरदीन गोंड़
4. राजू गोंड़ तनय ईश्वरदीन गोंड़
5. बुल्लू तनय ईश्वरदीन गोंड़

   सभी निवासी ग्राम भटिगवां थाना व तहसील जयसिंह नगर जिला शहडोल (म0प्र0)
6. विश्वनाथ पाठक तनय बलराम पाठक निवासी ग्राम दुआरी **थाना** व तहसील जयसिंह नगर जिला शहडोल (म0प्र0) **---गैर निगरानीकर्तागण**

निगरानी बिरुद्ध निर्णय व आदेश दि**नांक** 14.06.18 जो न्यायालय अपर आयुक्त महोदय **शह**डोल संभाग द्वारा प्रकरण कमांक 109/निगरानी/2012-13 मे पारित किया गया।

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0भू0रा0सं0

मान्यवर,

निगरानी के आधार उल्लिखित करने के पूर्व प्रकरण के कुछ प्रमुख तथ्यों का उल्लेख करना आवश्यक है जो निम्नलिखित हैः-

रमानंद तिवारी

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

2

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी-3737/2018/शहडोल/भू.रा. जिला शहडोल रामानंद तिवारी विरूद्ध महासिंह

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
27 -08-2018	1. प्रकरण प्रस्तुत 2. दिनांक 09-08-2018 को आवेदक अभिभाषक श्री सुशील कुमार तिवारी को ग्राह्यता पर सुना गया । 3. ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । निगरानी मेमो एवं अधीनस्थ न्यायालय अपर आयुक्त शहडोल संभाग शहडोल के द्वारा पारित आदेश दिनांक 14-06-2018 का अवलोकन किया गया । 4. अपर आयुक्त के द्वारा स्पष्ट निष्कर्ष निकाला गया है कि प्रश्नाधीन भूमि पूर्व भूमिस्वामी लालसाह गोंड (आदिवासी) के नाम दिनांक 02-10-1959 के पश्चात भी उसके नाम पर दर्ज था । उक्त प्रश्नाधीन भूमि अपंजीकृत विक्रय पत्र के आधार पर दिनांक 29-12-1975 को गैर आदिवासी भूमि छोटकूराम ब्राम्हण के नाम नामांतरण हुआ । स्पष्ट है कि प्रश्नाधीन भूमि का अंतरण 02-10-1959 के पश्चात आदिवासी पक्ष से गैर आदिवासी के नाम अंतरण हुआ है । चूंकि आदिवासी की भूमि बिना कलेक्टर की अनुमति के क्रय नहीं की जा सकती । आवेदक द्वारा कलेक्टर से अनुमति लिये जाने से संबंध में कोई साक्ष्य अथवा प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया है । यह बिंदू भी विचारणीय है कि अपंजीकृत विक्रय पत्र के आधार पर इतने लम्बे समय पश्चात नामांतरण कराना भी संदिग्ध है । 5. अपर आयुक्त द्वारा निकाले गये उपरोक्त निष्कर्ष विधिसंगत है । जिसमें हस्तक्षेप का कोई आधार इस निगरानी में नहीं है । फलस्वरूप यह निगरानी प्रथम दृष्ट्या आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है । सदस्य 27/8/18	